रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277214
CG-DL-E-16102026-277214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948
No. 816] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 887(अ).— विस्फोटक नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 143 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2026 द्वारा, प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 25 फरवरी, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, अत: केंद्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्फोटक नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, -

(क) खंड (15) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(15क) "रक्षा विस्फोटक" से, ऐसे विस्फोटक अभिप्रेत है जो रक्षा क्षेत्र के लिए हैं, जिसके अंतर्गत निजी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित विस्फोटक भी हैं;";

(ख) खंड (37) में, उपखंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(च) शैक्षणिक संस्था, संस्था का प्रमुख, कुलपति, निदेशक, प्रधानाचार्य, या संकायाध्यक्ष (जिस भी नाम से पुकारा जाता है) या संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति;

(छ) विदेशी कंपनी के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन भारत में रहने वाले निदेशक;

(ज) साझेदारी के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 7 के अधीन भारत में रहने वाला भागीदार;";

(ग) खंड (44) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

'(44क) "अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला" से किसी कंपनी, फर्म, भागीदारी, सोसायटी, स्टार्टअप, या शैक्षणिक संस्था द्वारा स्थापित अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण और उपयोग के लिए प्रयोगशाला अभिप्रेत है;"।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, उपनियम (2) के, खंड (क) में, 'संघ' शब्द के पश्चात्, "रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रक्षा विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण या उपयोग के संबंध में पालन की जाने वाली सुरक्षा दूरी वही होगी जो विस्फोटक का भंडारण और परिवहन समिति पुस्तिका में यथाउपबंधित की गई हो।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "विस्फोटक का भंडारण और परिवहन समिति पुस्तिका" पर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है:

परंतु इस उप नियम के उपबंध उन परिसरों पर लागू नहीं होंगे, जो इस उपबंध के प्रकाशन की तारीख को विद्यमान हैं और ऐसी तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों द्वारा अनुमोदित परिसर के भीतर हैं:

परंतु यह और कि इस उपनियम के उपबंध, अनुज्ञप्त क्षमता के किसी विस्तार, नई प्रक्रियाओं की शुरूआत, उच्चतर परिसंकट वाले वर्ग के विस्फोटकों के विनिर्माण, या नियम 108 के अधीन अनुज्ञप्ति के अंतरण के मामले में लागू होंगे"।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में, -

(क) उप नियम (1) में, -

(i) "पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आधिकारिक वेबसाइट में" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् : – "परंतु इस नियम की कोई बात,

(क) संघ के सशस्त्र बलों या अथवा रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या रक्षा संबंधी पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों का विनिर्माण को;

(ख) अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए, और न कि वाणिज्यिक उत्पादन, विक्रय, तीसरे पक्ष को नमूनों की आपूर्ति या क्षेत्र परीक्षणों के लिए, किसी अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में नए विस्फोटक संघटनों का विनिर्माण, भंडारण, उपयोग, परिवहन, परीक्षण और विचारण, इस दौरान किसी भी समय परिसर में कुल विस्फोटकों की मात्रा पांच किलोग्राम से अधिक न हो तथा उक्त प्रयोगशाला के पास नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन विधिमान्य अनुज्ञा हो और वह इस नियम के खंड (17) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित हो, लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के खंड *(क)* के उपबंध, रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माताओं पर लागू नहीं होंगे:

परंतु यह भी कि खंड (ख) के अधीन दी गई अनुज्ञा, धारक को किसी भी वाणिज्यिक विनिर्माण, विक्रय या इस प्रकार विकसित विस्फोटक संघटन के क्षेत्र परीक्षण से पूर्व इस नियम के अधीन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान नहीं करेगी"।

(ख) उपनियम (17) में, खंड *(ix)* के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ix) संघ के सशस्त्र बलों के परिसरों या रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या रक्षा संबंधी पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के स्थापनों में अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले क्षेत्र परीक्षणों को संबंधित उपर्युक्त इकाई की सहमति और अनापत्ति के अधीन, इस उपनियम के उपबंधों से छूट प्रदान की जाएगी"।

6. उक्त नियमों के नियम 9 में, —

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) प्ररूप एई-13 के अधीन आवेदन के माध्यम से चाही गई पूर्व अनुज्ञा और मुख्य नियंत्रक द्वारा इन शर्तों के अधीन जो उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, प्ररूप एलई-13 के अधीन अनुज्ञा मंजूर किए जाने पर, अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में कम मात्रा में विस्फोटक का विनिर्माण।";

(ख) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:

"परंतु ऐसे प्रयोगशाला परिसर में विनिर्मित, भंडारित, उपयोग किए गए, नमूनों के रूप में आपूर्ति किए गए या परिवहन किए गए या परीक्षण या विचारण के लिए लगाए गए विस्फोटकों की कुल मात्रा किसी भी समय पांच किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।"

7. उक्त नियमों के, नियम 10 के उपनियम (1) में, खंड *(ग)* में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माता पहले परंतुक के अंतर्गत नहीं आएंगे और इस नियम के अधीन विनिर्माण पर लगाए गए निर्बंधनों के अधीन होंगे"।

8. उक्त नियमों के, नियम 21 के उपनियम (3) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माता पहले परंतुक के अंतर्गत नहीं आएंगे और इस नियम के अधीन अपेक्षाओं के अध्यधीन होंगे"।

9. उक्त नियमों के नियम 24 में, —

(क) उपनियम (1) में, "इन नियमों" शब्दों के पश्चात्, "या नियम 9 के उपनियम *(1)* के अधीन अनुज्ञात" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) में, "अनुज्ञप्तिधारी" शब्द के पश्चात्, "या अनुज्ञा धारक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 81 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माता पहले परंतुक के अंतर्गत नहीं आएंगे और इस नियम के अधीन निर्माण संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन होंगे"।

11. उक्त नियमों के नियम 100 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(1) इन नियमों के अधीन संदेय फीस मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक या जिला मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदत की जाएगी"।

12. उक्त नियमों के, नियम 101 में,—

(क) उपनियम (1) में, "इन नियमों के अधीन" शब्दों के पश्चात्, "या नियम 9 के उपनियम *(1)* के अधीन अनुज्ञा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) में, "मुख्य" शब्दों के स्थान पर, "जहां भी लागू हो, मुख्य" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

13. उक्त नियमों के नियम 107 में,—

(क) उपनियम (1) में, "अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3) में, "विस्फोटकों के निर्यात या आयात" शब्दों के पश्चात्, "या जिसके लिए नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों के नियम 113 की सारणी में, क्रम संख्यांक 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: –

"27	अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए परिसर में विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण, उपयोग, नमूनों की आपूर्ति या परिवहन, परीक्षण और ट्रायल के लिए 5 किलोग्राम से अनधिक मात्रा के लिए अनुज्ञा	13	एलई-13	*(i)* व्याख्या पत्र *(ii)* प्ररूप एई-13 (iii) आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो। *(iv)* विस्तृत परियोजना रिपोर्ट *(v)* सुरक्षा प्रबंधन योजना *(vi)* अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में सुविधा के ब्यौरे। *(vii)* तकनीकी जनशक्ति की अर्हता और अनुभव *(viii)* एसटीईसी पैम्फलेट 3 के अनुसार	(i) व्याख्या पत्र (ii)फॉ प्ररूप एई-13 (iii) आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो। (iv) सुरक्षा प्रबंधन योजना का अनुपालन। (v) आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित समापन प्रमाण पत्र। (vi) तकनीकी जनशक्ति की अर्हता और अनुभव। (vii) एसटीईसी पैम्फलेट 3 के अनुसार, एज़-बिल्ट (वास्तविक निर्माण), स्थल और अभिन्यास का रेखाचित्र।

				प्रस्तावित प्रयोगशाला की स्थल और अभिन्यास योजना। *(ix)* आवेदक के नाम पर रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख या रजिस्ट्रीकृत किराया करार। *(x)* सक्षम प्राधिकारी से फर्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।	(viii) आवेदक के नाम पर रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख या रजिस्ट्रीकृत किराया करार। (ix) रूपविधान एई-12 में जिला प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (x) आवेदक द्वारा एक स्व-घोषणा पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निर्माण एसटीईसी पैम्फलेट 3, या किसी अन्य सुसंगत एसटीईसी पैम्फलेट जो समय-समय पर जारी किया गया हो, के अनुपालन में है। (xi) सक्षम प्राधिकारी से फर्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।”

15. उक्त नियमों के नियम 118 में, -

(क) पार्श्व शीर्षक में, “अनुज्ञप्ति" शब्द के पश्चात्, “या अनुज्ञा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात:

“(1) नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा,
(क) रदद् मानी जाएगी, यदि-

(i) यथास्थिति, अनुज्ञप्ति धारक या अनुज्ञा धारक का अनुज्ञप्त या सुसंगत परिसर पर विधिपूर्ण कब्जे का कोई अधिकार समाप्त हो गया हो;

(ii) यथास्थिति, अनुज्ञप्ति धारक या अनुज्ञा धारक को किसी भी समय हिंसा या नैतिक अद्यमता से अंतर्ग्रस्त किसी भी दांडिक अपराध के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो और कम से कम छह मास की अवधि के लिए दंडादेश दिया गया हो, दंडादेश की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी समय या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 9 के अधीन शांति बनाए रखने अच्छे व्यवहार के लिए बांड भरने का आदेश दिया गया हो;

(iii) अनुज्ञप्त या सुसंगत परिसर या विनिर्माण सुविधाएं किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कंपनी या सोसाइटी को पट्टे पर दे दी गई हो।

(ख) स्वतः रद्द हो जाएगी, यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा या जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियम 115 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है;

(ग) अधिनियम या इन नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए, या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा या केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा निलंबित या रद्दकरण किए जाने का दोषी होगी यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए समुचित आधार मौजूद हैः

परंतु, इस नियम के अधीन यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा को निलंबित या रद्द करने से पहले, यथास्थिति अनुज्ञप्ति धारक या अनुज्ञा धारक को सुनवाई का एक अवसर दिया गया हो;

(ग) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात: –

“(3) यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निलंबन या रद्दकरण के आदेश का तामील होना समझा जाएगा, यदि उसे यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा धारक के उस पते पर डाक द्वारा भेजा गया हो, जो अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा में दर्ज है।”

(घ) उप नियम *(4) के स्थान पर,* निम्नलिखित उप नियम को रखा जाएगा, अर्थात: -

"*(4) यथास्थिति* अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का निलंबन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा को आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से वर्जित नहीं करेगा।

(ङ) उप नियम *(5) में,* "अनुज्ञप्ति" शब्द जहां कहीं भी वे हैं, के पहले “यथास्थिति” शब्द और के पश्चात् "या अनुज्ञा" शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे।

16. उक्त नियमों में, अनुसूची IV में, -

(क) भाग 1 की सारणी में, अनुच्छेद संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"13 अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए परिसर में 5 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण, उपयोग, नमूनों की आपूर्ति/परिवहन, परीक्षण और विचारण की अनुज्ञा।	एलई-13	मुख्य नियंत्रक विस्फोटक।

(ख) भाग 2 में, -

(i) "उपयोक्ता फीस सूचना (विस्फोटक)" शब्दों के पश्चात शीर्षक में, निम्नलिखित शब्दों और प्रतीकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, स्टार्टअप या महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए फीस की एक पृथक छूटप्राप्त अनुसूची के साथ"।

(ii) मद "**घ**", विस्फोटक परीक्षण केंद्र में विस्फोटकों के पैकेजों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित फीस संदेय होगी” और उसके अंत में दी गई सारणी के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"स्पष्टीकरण – इस भाग और "प्ररूप एई-13" के क्रम सं. 9 (क) के प्रयोजनों के लिए, पद -

(1) "सूक्ष्म उद्यम" का वही अर्थ है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ज) में दिया गया है;

(2) "लघु उद्यम" का वही अर्थ है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (द) में दिया गया है;

(3) "स्टार्टअप" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 108 (अ), तारीख 4 फरवरी 2026 के पैराग्राफ 1 के खंड (क) में दिया गया है;

(4) "महिला के नेतृत्व वाले उद्यम" से ऐसे उद्यम अभिप्रेत है, जो किसी महिला के स्वामित्व और नियंत्रण में हो तथा उसकी उद्यम की पूंजी में न्यूनतम 51 प्रतिशत की वित्तीय हिस्सेदारी हो।"।

17. उक्त नियमों की, अनुसूची V में, –

(क) भाग 1 के, प्ररूप एई -12 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"प्ररूप एई -13

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखें)

कृपया अधिभोगी का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ सामने हस्ताक्षर हुए चिपकाएं।

अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए एक बार में 5 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण और उपयोग की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

1. आवेदक का प्रकार: स्टार्टअप ☐ एमएसएमई ☐ महिला के नेतृत्व वाला उद्यम ☐

पब्लिक सेक्टर के उपक्रम ☐ कंपनी ☐ भागीदारी फर्म ☐ सोसाइटी ☐

सांपत्तिक फर्म ☐ शैक्षणिक संस्थान ☐

2. आवेदक के ब्यौरे:

7. जिस नाम से अनुज्ञा चाही गई है (नीचे दिए गए टिप्पण को देखें)
8. आधार नं./सीआईएन नं./फर्म रजिस्ट्रिकरण नं.
9. व्यक्ति के मामले में आयु
10. डाक पता, शहर, जिला, राज्य पिन कोड
11. मोबाइल नंबर और *ई-मेल*

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वेक्षण/जीएटी नं./खसरा नं.

कस्बा/ग्राम

मंडल/तालुका/तहसील

रेलवे स्टेशन/पुलिस स्टेशन

जिला

राज्य

पिन कोड

4. आवेदक तथा उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव।

(व्यक्ति के ब्यौरे दें तथा पृथक पत्रक संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो।)

5. विनिर्मित, भंडारण और उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों के ब्यौरे:

प्रस्तावित उत्पाद (विस्फोटकों का नाम)	**वर्ग और प्रभाग**	**संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण और संख्या।**	**मात्रा (किलोग्राम/संख्या/मीटर में)**

6. अतिरिक्त जानकारी के ब्यौरे, यदि कोई हो, ----------

7. (क) यदि आवेदक ने पिछले 10 वर्ष के दौरान विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन कोई अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं, तो उसकी विशिष्टियां, यदि कोई हो।

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई थी या उसका नवीकरण नहीं किया गया था? यदि हां, तो ब्यौरे प्रदान करें।

8. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्ष के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है या (बॉन्ड) देने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो ब्यौरे प्रदान करें

9. (*क*) क्या फर्म सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, स्टार्टअप या महिला नेतृत्व वाले उद्यम के अधीन आती है।

(*ख)* यदि हां, तो ब्यौरे प्रदान करें और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें----------

---

10. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दिए गई उपर्युक्त जानकारी सही है

तारीख:---------- उपर्युक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान: ---------- पूरा नाम----------

(कंपनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन संबंधी नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखें।

1. यदि आवेदन, संबंधित व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो नियम 2 के अनुसार कब्जे से संबंधित व्यक्ति का नाम और पता तथा, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार या सदस्य, तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।

2. कब्जे से संबंधित व्यक्ति के पासपोर्ट आकार के हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएंगी।

3. उपर्युक्त जानकारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकरण और अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने वाले प्राधिकरण को तुरंत दी जानी चाहिए।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों के संबंध में लापरवाही और दुरुपयोग को विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा।

(ख) भाग 3 में, प्ररूप एलई-11क के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"प्ररूप ठङ - 13

अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के लिए अनुज्ञा

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 9 देखें)

अनुज्ञप्तिधारक या अधिभोगी की फोटो हस्ताक्षर सहित

"केवल अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए 5 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण और उपयोग के लिए अनुज्ञा "

अनुज्ञा संख्या.....
फीस रु.....

1. नाम:…….....
   को अनुज्ञा प्रदान की जाती है:

पत्राचार का पता:.....

नगर.....

जिला.....

राज्य.....

पिन कोड.....

पुलिस स्टेशन.....

रेलवे स्टेशन/स्टीमर घाट.....

फोन……ई-मेल……..फैक्स…….....

2. अनुज्ञा धारक की स्थिति: .....
3. यह अनुज्ञा निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विधिमान्य है:

……..

4. यह अनुज्ञा निम्नलिखित प्रकार और मात्रा के विस्फोटकों के लिए विधिमान्य है:

(नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उप-प्रभाग, एक बार में मात्रा, एक मास में मात्रा और वार्षिक क्षमता, जो भी लागू हो)

……

……

5. अनुज्ञात परिसर निम्नलिखित रेखाचित्र के अनुरूप होने चाहिए:

रेखाचित्र संख्या..... तारीख .....

रेखाचित्र संख्या …… तारीख .....

(हस्ताक्षर)

6. अनुज्ञात परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित हैं:

नाम:

…….....

पत्राचार का पता

:…….....

……सर्वे संख्या. नगर

जिला……राज्य……पिनकोड…….....

पुलिस स्टेशन……

रेलवे स्टेशन/स्टीमर घाट.....

फोन……ई-
मेल……..फैक्स…….....

7. अनुज्ञात परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित होंगी:

……

8. यह अनुज्ञा समय-समय पर यथासंशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए विस्फोटक नियम, 2008 और शर्तों और निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन दी जाती है :

9. रेखाचित्र (स्थल, निर्माण भूमि और अन्य ब्यौरे दर्शाते हुए) जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 5 में विवरणित किया गया है।
10. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञा की शर्तें
11. संबंधित एसटीईसी पैम्फलेट के अनुसार दूरी प्ररूप

9. यह अनुज्ञा 3 वर्ष तक (दिन/मास/वर्ष) तक विधिमान्य रहेगी

इस अनुज्ञा को, अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञा की शर्तों के किसी भी उल्लंघन किए जाने पर या अनुज्ञप्त परिसर को संलग्न योजनाओं और उपबंध में दर्शाए गए विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसहृत किया जा सकता है।

तारीख..... 20….....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

[मुख्य विस्फोटक नियंत्रक]

<u>कानूनी चेतावनी:</u> विस्फोटकों के साथ लापरवाही और उनका दुरुपयोग करना विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा।

[फा. सं. 2(3)/2019-विस्फोटक-भाग (5)]

डॉ काजल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना *संख्यांक* सा.का.नि. *907 (अ) तारीख 29 दिसंबर 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित* किए गए थे: -

1. सा.का.नि. 65 (अ) तारीख 24 जनवरी, 2011;
2. सा.का.नि. 772 (अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013;
3. सा.का.नि. 17 (अ) तारीख 9 जनवरी, 2019;
4. सा.का.नि. 633 (अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2024;
5. सा.का.नि. 284 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 2025; और
6. सा.का.नि. 154 (अ) तारीख 02 मार्च, 2026।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

G.S.R. 887(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Explosives Rules, 2008, were published, as required under sub-section (*1*) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 143 (E), dated 25th February, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 25th February, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 2008, namely: –

1. **Short title and commencement**. - (*1*) These rules may be called the Explosives (Second Amendment) Rules, 2026.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, -

(a) after clause (*15*), the following clause shall be inserted, namely: –

"(*15A*) "defence explosive" means explosives which are meant for defence sector including those manufactured by private manufacturers;";

(b) in clause (37), after sub-clause (*e*), the following sub-clauses shall be inserted, namely: –

"*(f)* academic institution, the head of the institution, the Vice-Chancellor, Director, Principal, or Dean (by whatever name called) or an individual nominated by the head of the institution;

(g) for a foreign company, the director residing in India under section 149 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(h) for a partnership, a partner residing in India under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);";

(c) after clause (*44*), the following clause shall be inserted, namely: –

'(*44A*) "research and development laboratory" means a laboratory for manufacturing, storage and use of explosives for research and development purposes set up by a company, firm, partnership, society, startup, or academic institution;".

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (*2*), in clause (*a*), after the word 'Union', the words "Defence Research and Development Organisation, Defence Public Sector Undertakings" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 5, after sub-rule (*3*), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"*(4)* Notwithstanding anything contained in sub-rule *(3),* the safety distances to be followed for the manufacture, storage, or use of defence explosives shall be as provided in the Storage and Transport of Explosives Committee Pamphlet.

Explanation. - For the purpose of this sub-rule, the expression "Storage and Transport of Explosives Committee Pamphlet" means the guidelines issued by Centre for Fire, Explosive and Environment Safety under the Defence Research and Development Organisation:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable to premises, which are existing on the date of publication of this provision and are within the approved premises of the licenses granted under these rules, for a period of three years from such date:

Provided further that the provisions of this sub-rule shall be applicable in the case of any expansion of licensed capacity, introduction of new processes, manufacture of explosives of a higher Hazard Division, or transfer of the licence under rule 108.".

5. In the said rules, in rule 6, -

(a) in sub-rule (*1*), -

(i) for the words "in the official website of the Petroleum and Explosives Safety Organisation", the words "by the Central Government in the Official Gazette" shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely: –

"Provided that nothing in this rule shall apply to,

(*a*) the manufacture of explosives for the armed forces of the Union or other establishments of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, or Defence Public Sector Undertakings;

(*b*) the manufacture, storage, use, transport, testing and trials of new explosive compositions, not exceeding five kilograms in total explosives at the premises at any one time, for the purpose of research and development and not for commercial production, sale, supply of samples to third parties or field trials, at a research and development laboratory holding a valid permission under sub-rule (*1*) of rule 9, and approved under the procedure given in clause (*17*) of this rule:

Provided further that the provisions of clause *(a)* of the first proviso shall not be applicable to private manufacturers of defence explosives:

Provided also that a permission under clause (*b*) shall not exempt the holder from the requirement of obtaining authorisation under this rule prior to any commercial manufacture, sale or field trial of the explosive composition so developed.".

(b) in sub-rule (*17*), for clause *(ix),* the following clause shall be substituted, namely: –

"(*ix*) Field trials by research and development laboratories, held in the premises of the Armed Forces of the Union or establishments of the Ministry of Defence or Defence Research and Development Organisation, or Defence Public Sector Undertakings, subject to the concurrence and clearance from the relevant aforementioned entity, shall be exempted from the provisions of this sub-rule.".

6. In the said rules, in rule 9, -

(a) for sub-rule (*1*), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"*(1)* manufacture of explosive in small quantities in research and development laboratory for research and development purpose with prior permission sought through an application under Form AE-13 and granted by the Chief Controller under Form LE-13, under conditions as may be imposed by him.";

(b) after sub-rule (*1*), the following proviso shall be inserted:

"Provided that the total quantity of explosives manufactured, stored, used, supplied or transported as samples, or deployed for tests or trials in such laboratory premises shall not exceed five kilograms at any one time.".

7. In the said rules, in rule 10, in sub-rule (*1*), for clause *(c),* after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that private manufacturers of defence explosives shall not be covered by the first proviso and shall be subject to the restrictions on manufacture under this rule.".

8. In the said rules, in rule 21, in sub-rule (*3*), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that private manufacturers of defence explosives shall not be covered by the first proviso and shall be subject to the requirements under this rule.".

9. In rule 24 of the said rules, -

(a) in sub-rule (1), after the words "these rules", the words "or a permission under sub-rule *(1)* of rule 9" shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the word "licensee", the words "or permission holder" shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 81, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that private manufacturers of defence explosives shall not be covered by the first proviso and shall be subject to the construction requirements under this rule.".

11. In the said rules, in rule 100, for sub-rule (*1*), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(*1*) The fee payable under these rules to the Chief Controller, Controller, or District Magistrate, shall be paid by electronic means.".

12. In the said rules, in rule 101, -

(a) in sub-rule (1), after the words "under these rules", the words "or a permission under sub-rule *(1)* of rule 9" shall be inserted;

(b) in sub-rule (*3*), for the words "The Chief", the words "Wherever applicable, the Chief" shall be inserted.

13. In the said rules, in rule 107, -

(a) in sub-rule (*1*), after the words "for grant of license", the words "or a permission granted under sub-rule (1) of rule 9", shall be inserted;

(b) in sub-rule (*3*), after the words "import of explosives", the words "or for which a permission has been granted under sub-rule (*1*) of rule 9", shall be inserted.

14. In the said rules, in rule 113, in the Table, after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: –

"27	Permission for manufacturing, storage, usage, supply or transport of samples, testing, and trial of explosives not exceeding 5 kg on the premises for research and development laboratories	13	LE-13	*(i)* Covering letter. *(ii)* Form AE-13 *(iii)* Passport size photograph of applicant *(iv)* Detailed project report *(v)*Safety management plan. *(vi)* Details of facility in the research & development laboratory. *(vii)* Qualification and experience of technical manpower *(viii)* Site and layout plan of the proposed laboratory, as per STEC Pamphlet 3. *(ix)* Registered Lease deed or registered rent	*(i)* Covering letter. *(ii)* Form AE-13 *(iii)* Passport size photograph of applicant. *(iv)*Compliance to safety management plan *(v)* Completion certificate duly signed by applicant. *(vi)* Qualification and experience of technical manpower *(vii)* As built, site and layout drawing, as per STEC Pamphlet 3. *(viii)* Registered lease deed or registered rent agreement in the name of applicant *(ix)* No objection certificate issued by district authority in the format AE-12 *(x)* A self-declaration by the applicant stating that construction of the research and development laboratory is in compliance with STEC Pamphlet 3, or any other relevant STEC pamphlet that may be issued from time to time. *(xi)* Firm registration certificate from competent authority.".

				agreement in the name of applicant. *(x)* Firm registration certificate from competent authority.	

15. In the said rules, in rule 118, -

(a) in the marginal heading, after the word "license", the words "or permission" shall be inserted;

(b) for sub-rule (*1*), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) Every licence or permission granted under sub-rule *(1)* of rule 9 shall,

(a) stands cancelled, if –

(i) the licensee or permission holder, as the case may be, has ceased to have any right for the lawful possession over the licensed or relevant premises;

(ii) the licensee or permission holder, as the case may be, is convicted and sentenced under any criminal offences involving violence or moral turpitude for a term of not less than six months at any time during a period of five years after the expiration of the sentence or ordered to execute under Chapter IX of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), a bond for keeping peace for good behaviour;

(iii) the licensed or relevant premises or manufacturing facilities are leased to any other person, firm, company, society.

(b) stand cancelled, if no objection certificate is cancelled by the authority issuing the same or District Magistrates or the State Government in accordance with rule 115;

(c) be liable to be suspended or cancelled by an order of the licensing authority for any contravention of the Act or these rules or of any condition contained in such license or permission, or by order of the Central Government, if it is satisfied that there are sufficient grounds for doing so:

Provided that before suspending or cancelling a licence or permission, as the case may be, under this rule, the holder of the licence or permission holder, as the case may be, shall be given an opportunity of being heard.;

(c) for sub-rule *(3),* the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"*(3)* An order of suspension or revocation of licence or permission, as the case may be, shall be deemed to have been served if sent by post to the address of the licensee or permission holder, as the case may be, entered in the licence or permission.";

(d) for sub-rule *(4),* the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"*(4)* The suspension of licence or permission, as the case may be, shall not debar the holder of the license or permission from applying further renewal.";

(e) in sub-rule *(5),* after the word "licence", wherever, they occur, the words "or permission, as the case may be" shall be inserted.

16. In the said rules, in SCHEDULE IV, -

(a) in Part 1, in the table, after article number 12 and the entries relating thereto, the following article and entries shall be inserted, namely: –

"13 Permission for manufacturing, storage, usage, supply/transport of samples, testing, and trial of explosives not exceeding 5 kg on the premises for research and development purposes.	LE-13	Chief Controller of Explosives.".

(b) in Part 2, -

(i) in the heading after the words "**User Fee Notice (Explosives)**", the following words and symbols shall be inserted, namely: –

"**with a separate discounted schedule of fees for Micro enterprise, Small Enterprise, startup or women-led enterprise**".

(ii) after item "**D.** The following fees shall be payable for testing of packages of explosives in the Departmental Testing Station" and the table therein, at the end, the following shall be inserted, namely: –

"Explanation. – For the purposes of this Part and serial no. 9 *(a)* of "FORM AE-13", the expressions -

(1) "Micro Enterprise" shall have the same meaning as assigned to it in clause *(h)* of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(2) "Small Enterprise" shall have the same meaning as assigned to it in clause *(m)* of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(3) "startup" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*a*) of paragraph 1 of the notification number G.S.R. 108 (E), dated 4th February 2026, and as amended from time to time;

(*4*) "woman-led enterprise" means an enterprise owned and controlled by a woman holding a minimum financial interest of 51 per cent. of the capital.".

17. In the said rules, in Schedule V, –

(a) in Part 1, after Form AE-12, the following Form shall be inserted, namely: –

"FORM AE-13

(*See* rule 113 of Explosives Rules,2008)

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with his signature in front

APPLICATION FOR PERMISSION TO MANUFACTURE, STORAGE AND USE OF EXPLOSIVES NOT EXCEEDING 5 KG AT A TIME FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT PURPOSE.

1. Type of applicant: Startup ☐ MSME ☐ woman-led enterprise ☐
Public Sector Undertaking ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Society ☐
Proprietary Firm ☐ Academic Institution ☐

2. Applicant's detail:

a. Name in which permission is sought (see note below)

b. Aadhar No/CIN/Firm registration No

c. Age in case of individual

d. Postal address, City, District, State Pin Code

e. Mobile no and *e*-mail

3. Address of the proposed premises:

Survey /Gat No /Khasra No

Town/Village

Mandal/Taluk/Tehsil

Railway Station/Police Station

District

State

Pin Code

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Details of explosives to be manufactured, storage and use

Proposed product (Name of explosives)	**Class &Div.**	**UN classification & No.**	**Quantity (in Kg/Nos/ Mtrs)**

6. Details of additional information if any ----------

7. (*a*) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last 10 years

(*b*) Was any license cancelled or not renewed? If yes, give details.

8. Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter IV of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 during the last 10 years? If yes, give details.

9. (*a*) Whether the firm falls under Micro Enterprise, Small Enterprise, startup or woman-led enterprise.

(*b*) If yes, give details and furnish supporting document----------

10. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date:---------- Signature of applicant in the box above

Place:---------- Full name----------

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

1. In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
2. Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
3. Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

(b) in Part 3, after Form LE-11A, the following Form shall be inserted, namely: –

"FORM LE-13

PERMISSION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES

(*See* rule 9 of the Explosives Rules, 2008)

Space for Photograph of the licensee or occupier with signature

"Permission to manufacture, storage and use of explosives not exceeding 5 Kg. at a time for research and development purpose"

Permission No.……
Fees Rs.…….

1. Permission is here by granted to:

Name:…….....

Postal address:…….....

City…….....

District……

State……

Pin code…….....

Police Station……

Railway Station/Steamer Ghat…….....

Phone……

E-mail……..

Fax…….....

2. Status of permission holder:

……..…….....

3. Permission is valid for the following purpose:

……
…….....

4. Permission is valid for the following kinds and quantity of explosives:

(Name, description, class, division, sub-division, quantity at any one time, in a month and annual capacity as applicable)

……
……

5. The permitted premises shall conform to the following drawing(s)
Drawing No.…… dated……
Drawing No.…… dated……

(space for signature)

6. The permitted premises are situated at the following address:

Name:

…….....

Postal

address:…….....

Survey No.....

City…….....

District……

State……

Pincode….....

Police Station…….....

Railway Station/Steamer Ghat…….

Phone……e-mail.....Fax……

7. The permitted premises consist of following facilities:

……

8. The Permission is granted subject to the provision of Explosives Act,1884 as amended from time to time and the Explosives Rules, 2008 framed thereunder and the conditions, and the following annexures:
    1. Drawings (showing site, construction land other details) as stated in serial No.5 above.
    2. Conditions of this permission signed by the licensing authority.
    3. Distance Form as per relevant STEC Pamphlets
9. This permission shall remain valid till 3 years up to (dd/mm/yyyy)

This permission is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed thereunder or the conditions of this Permission or if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

The…….....20….....

Signature, designation and seal of licensing authority

[Chief Controller of Explosives]

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

[F. No. 2(3)/2019-Expl-Part (5)]

Dr. KAJAL Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (*i*), *vide* notification number G.S.R. 907 (E) dated the 29th December 2008 and subsequently amended as follows: –

(1). G.S.R. 65 (E) dated 24th January, 2011;
(2). G.S.R. 772 (E), dated the 11th December, 2013;
(3). G.S.R. 17 (E) dated 9th January 2019;
(4). G.S.R. 633 (E) dated 11th October, 2024;
(5). G.S.R. 284 (E) dated 24th April, 2025; and
(6). G.S.R. 154 (E) dated 02nd March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.14 21:28:03 +05'30'